

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1185

जिसका उत्तर शुकवार, 6 फरवरी, 2026/17 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है।

नैनो उर्वरक का प्रचार-प्रसार

1185. श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री बाबू सिंह कुशवाहा:
श्री विजय बघेल:
श्री सतीश कुमार गौतम:
श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी:
श्री बलभद्र माझी:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री भर्तृहरि महताब:
डॉ. विनोद कुमार बिंद:
श्री नव चरण माझी:
डॉ. भोला सिंह:
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
श्री राजकुमार चाहर:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री देवेश शाक्य:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री यदुवीर वाडियार:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री बिप्लब कुमार देब:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नैनो यूरिया और नैनो डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) के प्रचार-प्रसार के लिए क्षेत्र प्रदर्शनों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से चलाए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

- (ख) उक्त प्रदर्शनों और जागरूकता अभियानों के परिणामस्वरूप उर्वरक खपत में उल्लेखनीय कमी किस प्रकार आई;
- (ग) क्या प्रधानमंत्री प्रणाम मातृ-पृथ्वी के पुनरुद्धार, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम, योजना ने राज्यों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया है; और
- (घ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र सहित राज्यों में दर्ज की गई कमी और जारी की गई प्रोत्साहन राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): देश भर में किसानों के बीच नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- i. नैनो उर्वरकों के प्रयोग को विभिन्न गतिविधियों जैसे कि जागरूकता शिविरों, वेबिनारों, खेतों पर प्रदर्शनों, किसान सम्मेलनों और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।
- ii. नैनो उर्वरकों को संबंधित कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) पर उपलब्ध कराया जाता है।
- iii. नैनो उर्वरकों को उर्वरक विभाग द्वारा नियमित रूप से जारी मासिक आपूर्ति योजना में शामिल किया गया है।
- iv. पत्तियों पर छिड़काव के माध्यम से नैनो यूरिया जैसे नैनो उर्वरकों के अनुप्रयोग और उपयोग में आसानी के लिए 'किसान ड्रोन' के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव और खुदरा बिक्री केंद्रों पर बैटरी चालित स्प्रेयर्स का वितरण जैसी पहलें की जाती हैं। इस प्रयोजन के लिए, ग्राम स्तरीय उद्यमियों के माध्यम से पायलट प्रशिक्षण और कस्टम हायरिंग छिड़काव सेवाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाता है।
- v. उर्वरक विभाग ने उर्वरक कंपनियों के सहयोग से परामर्श और क्षेत्र स्तरीय प्रदर्शन करके देश के सभी 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में नैनो डीएपी को अपनाने के लिए एक महाअभियान शुरू किया है। इसके अलावा, उर्वरक विभाग ने उर्वरक कंपनियों के सहयोग से देश के 100 जिलों में नैनो यूरिया प्लस के लिए फील्ड स्तरीय प्रदर्शन करने और जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए भी अभियान शुरू किया है।

इसकी शुरुआत के बाद से, दिनांक 31.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार, देश भर में नैनो यूरिया की कुल **11.85 करोड़ बोटलें** (500 मिलीलीटर के बराबर) और नैनो डीएपी की **3.53 करोड़ बोटलें** (500 मिलीलीटर के बराबर) बेची गई हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) "पारंपरिक यूरिया की तुलना में नैनो यूरिया की प्रभावकारिता, उपयोगिता और प्रभाव का मूल्यांकन" शीर्षक पर दो वर्षों से अध्ययन (2024-2026) कर रही है। मसौदा अध्ययन रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष बताते हैं कि नैनो यूरिया का उपयोग केवल एक पौष्टिक अनुप्रयोग के रूप में किया जाना चाहिए, जबकि बेसल खुराक की आपूर्ति पारंपरिक यूरिया के माध्यम से जारी रखनी चाहिए, जो नैनो यूरिया का उपयोग करने पर भी आवश्यक बनी रहती है। किसान प्रतिक्रिया के आधार पर, बेसल के रूप में पारंपरिक यूरिया और पौष्टिक रूप में नैनो यूरिया ने फसल की उपज में 1.65% से 14.82% की वृद्धि दिखाई है।

(ग) और (घ): आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को "धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" को अनुमोदित किया। इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाकर, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देकर और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करके धरती माता के स्वास्थ्य को संरक्षित रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का सहयोग करना है।

सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को पीएम-प्रणाम स्कीम के अंतर्गत लाया गया है। पीएम-प्रणाम स्कीम के तहत, पिछले तीन वर्षों में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी की औसत खपत की तुलना में, किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में इनकी खपत में कमी लाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है, जो बचाई गई उर्वरक सब्सिडी के 50% के समतुल्य है। कुल अनुदान में से 95% राज्यों को दिया जाएगा, जबकि शेष 5% का उपयोग भारत सरकार द्वारा आपदा-समायोजित प्रोत्साहनों के लिए किया जाएगा। अनुदान गणना के लिए, किसी राज्य के फसल क्षेत्र में किसी भी वृद्धि को पहले उर्वरक खपत को आनुपातिक रूप से समायोजित करके गिना जाता है। इसके बाद, वर्ष के दौरान रासायनिक उर्वरक उपयोग में वास्तविक कमी की गणना की जाती है ताकि अंतिम प्रोत्साहन राशि ज्ञात की जा सके। इसके अलावा, पड़ोसी राज्यों के आस-पास के जिलों में उर्वरक की खपत में किसी भी वृद्धि को बचत से घटा दिया जाता है। राज्यों को प्रदान किए गए 95% अनुदान में से 65% अधिमानतः केंद्र सरकार की प्रायोजित स्कीमों में अंशदान के तौर पर, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) परियोजनाओं के लिए है, और 30% अन्य कार्यकलापों के लिए है, जिसमें सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) पहल शामिल हैं।

उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, पीएम प्रणाम स्कीम के प्रावधानों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक कोई प्रोत्साहन राशि वितरित नहीं की गई है।

उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली ने 2023-24 के दौरान रासायनिक उर्वरक की खपत में कमी की कोई सूचना नहीं दी है। हालांकि, महाराष्ट्र राज्य में, पिछले तीन वर्षों (2020 से 2023) की रासायनिक उर्वरकों की औसत खपत की तुलना में 2023-24 के दौरान इनकी खपत में 3,40,789 मीट्रिक टन की अनंतिम कमी हुई है।